न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक | फर्द अहकाम

मुकदमा नं. 48/17 तारीख रजू 25.5.17

उनवान – [illegible]

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से [illegible] श्री विजय [illegible] एडवोकेट ने बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा धारा 53, 188 पेश किया। आवेदन पत्र [illegible] किया गया। [illegible] रजिस्टर कर [illegible] को जरिये समान [illegible] 6/7/17 को पेश हो।

(उपखण्ड अधिकारी, टोडाभीम (करौली))

18/5/17 (right margin: 1817.22)

6.7.17

वादी वकील उप./प्रतिवादी नं. 3, 13, 14, 15 के समन मय तामील प्राप्त हुए है। प्रतिवादी नं. 1, 2, 4 ता 12 व 16 के समन विधिवत तामील हो चुके है। प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 की ओर से श्री राम [illegible] द्वारा Adv. ने [illegible] पेश किया। प्रतिवादी नं. 4 ता 8, 10, 11, 12, 16 बावजूद तामील उप. नहीं। [illegible] मीटिंग में पधारे हैं। आइंदा दि. 27.7.17 को पेश हो। [signature]

(right margin: [illegible] दिनांक)

27.7.17

वादी वकील उप./प्रतिवादी नं. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मा Adv. ने तथा प्रतिवादी नं. 10, 11, 12 की ओर से श्री राम [illegible] द्वारा Adv. ने वकालतनामा पेश किये। [illegible] 10, 11, 12 के विरुद्ध कार्यवाही [illegible] किया। वादी वकील ने भी [illegible] का प्रार्थना पत्र पेश किया। इसी प्रार्थना पत्र की नकलें [illegible]

(right margin: [illegible] [illegible] [illegible] ता. [illegible] [illegible])

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 12:09:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 12:09:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

दर्ज करने से रह गये हैं। मौके खाता के खसरा नम्बर दर्ज कर संशोधित वादपत्र पेश करने के आदेश प्रदान करे। वकील प्रतिवादी ने इस प्रा० पत्र का जवाब पेश किया कि वादपत्र में नये खाता के खसरा नम्बर दर्ज कर संशोधित वादपत्र पेश नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संशोधित वादपत्र पेश करने की अनुमति प्रदान करने का कथन किया। वकील प्रतिवादी ने नये खाते के खसरा नम्बर जोड़कर संशोधित वादपत्र पेश करने की अनुमति प्रदान नहीं करने का कथन किया तथा यह भी कहा कि वादी चाहे तो नया दावा पेश कर सकता है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनकर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र O 6 R 7 CPC न्यायोचित नहीं होने से खारिज किया जाता है। इसके उपरान्त वादी वकील ने एक प्रार्थना पत्र O 23 R. 1 जाब्ता दीवानी बाबत मुकदमा नया पेश करने की अनुमति प्रदान करने प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादी वकील इस मुकदमे को वापिस लेकर नया मुकदमा पेश करना चाहता है। प्रतिवादी वकील ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। अतः यह प्रार्थना पत्र O 23 R. 1 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर यह मुक[illegible] की अनुमति प्रदान की जाती है कि वादी [illegible] प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली [illegible] से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 12:09:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner